

उपरोक्त अनुपस्थित। न्यायालय समय पर कोई
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

४५